G-4
Dy 21/7

संख्याः–ईडीएन–एसई(10)ए(1)पी.एस 37/2025–सामान्य निर्देश
शिक्षा निदेशालय (स्कूल)
हिमाचल प्रदेश।

Deputy Director of School Education (Sec)
21 JUL 2026
4282
Diary ... Kangra at Dharamshala

प्रेषितः

दिनांकः शिमला–1 जुलाई, 2026

समस्त उप निदेशक स्कूल शिक्षा
(सकैण्डरी/प्रारम्भिक),हिमाचल प्रदेश।

विषय :– **Regarding Action Taken Report Called for (ATR-420/90/0/2026).**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में इस निदेशालय के पत्र संख्या शिक्षा–एसई(10)ए(1)पी.एस –37/2025–सामान्य निर्देश दिनांक 27.01.2026 की निरन्तरता में व सचिव, शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से श्री इंद्रजीत कुमार उप रजिस्ट्रार सिहं (LAW) DB-1 सेक्शन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मानव अधिकार भवन ब्लाक.सी GPO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110023 से प्राप्त पत्र में कहा गया है कि भारत के कई निजी विद्यालय, चाहे वे केन्द्रीय माध्यमिक स्कूल शिक्षा दिल्ली से सम्बन्द्वता हो अथवा अन्य बोर्डो से NCERT/SCERT द्वारा निर्धारित पाठ्य–पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्य–पुस्तकों को विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर रहे हैं, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) की धारा 29 का उल्लंघन है।

अतः सचिव, शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से श्री इंद्रजीत कुमार उप रजिस्ट्रार सिहं (LAW) DB-1 सेक्शन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मानव अधिकार भवन ब्लाक.सी GPO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110023 से प्राप्त पत्र आपको प्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि आप अपने–अपने जिलों के सभी निजी स्कूल प्रबन्धन/प्रधानाचार्यो/मुख्याध्यापकों को NCERT/SCERT द्वारा निर्धारित पाठ्य–पुस्तकों के अनुसार ही स्कूलों में किताबे उपयोग करने के आदेश जारी करे। इसके अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिये जाते है कि आप निजी विद्यालयों का निरीक्षण, सर्वेक्षण अथवा लेखा–परीक्षण करे, जिससे यह आकलन किया जा सके कि कितने निजी स्कूल प्रबन्धनों द्वारा NCERT/SCERT के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों का उपयोग किस सीमा तक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2025–26 में नर्सरी से लेकर 12वीं तक सरकारी एवं निजी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या प्रपत्र (ए) के अनुसार इस निदेशालय को दो सप्ताह के भीतर प्रेषित करे। यदि भविष्य में NCERT/SCERT द्वारा निर्धारित पाठ्य–पुस्तकों के अनुसार स्कूलों में किताबे उपयोग न करने के सन्दर्भ में कोई शिकायत प्राप्त होगी उन स्कूलों के विरूद्व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान (विनियमन) अधिनियम 1997 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा जारी किये गये अनुमति प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है। जिसके लिए स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेवार होगा।

इसे अति आवश्यक समझें।

निदेशक स्कूल शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः सम् दिनांकः शिमला– 171001. जुलाई, 2026
प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित हैः

1 सचिव, शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके कार्यालय पत्र संख्याः– EDUB-A01/1/2023 दिनांक 26.06.2026 के सन्दर्भ सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2 श्री इंद्रजीत कुमार उप रजिस्ट्रार (LAW) DB-1,सेक्शन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मानव अधिकार भवन ब्लाक.सी GPO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110023 को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
3 नोडल अधिकारी, (आई टी सेल) स्कूल शिक्षा निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये जाते है।
4 रक्षक नस्ति।

Directorate of School Education
20 JUL 2026
Himachal Pradesh, Shimla-171001

निदेशक स्कूल शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठांकन :संख्या-ईडीएन-के०जी०आर० **(जी-4)**विविध/**2023**
कार्यालय उप निदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) काँगड़ा स्थित धर्मशाला

Deputy Director of School Education (Sec)
25 JUL 2026
Dispatch No. 5489
Kangra at Dharamshala

दिनाँक धर्मशाला **25,** जुलाई **2026**

प्रतिलिपि:

1. सभी निजी विद्यालयों के प्रमूखो/ प्रबंधकों **(ICSE /CBSE/HPBOSE)** को यह आदेश दिए जाते हैं कि इस पत्र में निहित निदेशक स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें एवं सम्बंधित स्कूल में **NCERT/SCERT** द्वारा निर्धारित पाठ्य- पुस्तकों के अनुसार ही स्कूलों में किताबों का उपयोग करें ।
2. रक्षक नस्ति ।

उप निदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक)
काँगड़ा स्थित धर्मशाला

Scanned with OKEN Scanner